दिल्ली विधान सभा सचिवलय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) मंगलवार 13 अगस्त, 2002 / 22 श्रावण, 1924 (शक)

संख्या: 224

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान समा को संबोधित उपायुक्त पुलिस,नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्रप्त हुआ है :-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री सुभाष चौपडा व श्री मुकेश शर्मा को दिनांक 6/8/ 2002 के अपराहन 4.25 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत तालकटोरा रोड. से नज़र बन्द किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 6/8/2002 को अपराह्न 4.30 बजे वहीं से रिहा कर दिया गया ।

> एस.के.शर्मा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters) Tuesday, 13th, 2002/ Shravana 22, 1924(saka)

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, N.Delhi:-

I have the honour to inform you that Shri Subhash Chopra and Shri Mukesh Sharma, Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi were detained at Talkatora Road. U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 4.25 P.M. on 6.8.2002.

They were released at 4.30 P. M from the same place on the same day i.e. 6.8.2002.

S.K.SHAMRA SECRETARY